FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0243 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/08/2026 20:21 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 24/08/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:24 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/08/2026 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/08/2026 20:21:59 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 450 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** TEHASIL BAGIDORA JILA BANSWARA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ROHIT PATIDAR

(b) Father's Name (पिता का नाम): HARISH CHANDRA PATIDAR

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1995 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BODIYA MADLADA, GARHI, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BODIYA MADLADA, GARHI, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	YOGENDRA SINGH BHATI		पिता:SHAMBHU SINGH BHATI	1. BHADESAR,CHITTORGARH,RA
2	RATAN SINGH		पिता:RAM SINGH	1. BODIGAMA HAMIRPURA,BAGIDORA,BANSWARA,RAJASTHAN,INDIA
3	VITTAL		पिता:MOGJI	1. NAUGAMA,BAGIDORA,BANSW

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा विषयः- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बाबत् महोदय् उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै प्रार्थी रोहित पाटीदार पुत्र श्री हरिशचन्द्र पाटीदार बोदिया उम्र 31 वर्ष निवासी बोदिया मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा का निवासी हू । मै रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड प्रताप सर्कल बांसवाडा में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हू हमारी कम्पनी का मुख्य कार्य मकानो व भूमि पर ऋण प्रदान करने का है आरबीआई के नियमानुसार जिस मकान या भूमि पर ऋण दिया जना है उसकी रजिस्ट्री को सम्बन्धित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर मोर्टगेज करवाना पडता है रजिस्टर मोर्टगेज करवाने के बदले में रिश्वत राशि लि जाती है मेरी कम्पनी में गोतम पुत्र चमनाजी आदिवासी निवासी बुडवा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा एवं प्रेमजी डामोर पुत्र श्री भेरजी डामोर निवासी करजी तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा के मकानों पर ऋण हेतु आवेदन किया गया है उक्त दोनो के मकानो के पट्टो को रजिस्टर मोर्टगेज करवाने हेतु मेरे द्वारा दिनांक 06.08.2026 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय बागीदौरा में जमा चालान सहित करादीये थे सब रजिस्ट्रार कार्यालय बागीदौरा का बाबू भाटी रजिस्टर मोर्टगेज के कागजाद मुझे देने के बदले में 2500-2500 (दोनो पत्रावलीयों के) कुल 5000 रूपये कि मांग कर रहा है। मैं रिश्वत राशि नही देना चाहता हू रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हु मेरी भाटी बाबूजी से पुरानी कोई दुश्मनी नही है ना ही पूरानी कोई लेन देन बाकी है, रिपोर्ट पर कार्यवाही करें। दिनांकः- 21.08.2026 प्रार्थी सही/- रोहित पाटीदार मोंनं कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा दिनांक 21.08.2026 समय 10.00 एएम पर दर्ज रहे कि मन् पुलिस उप अधीक्षक को दिनांक 20.08.2026 को ब्यूरो मुख्यालय के 1064 हेल्पलाईन शाखा से परिवादी श्री रोहित पाटीदार से सम्पर्क करने हेतु सूचना प्राप्त हुई जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री रोहित पाटीदार से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया जाकर शिकायत सम्बन्धी पूछताछ कर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने हेतु कहा गया तो परिवादी ने आज आना सम्भव नही है मेरे कोई निजी कार्य है। जिस पर परिवादी को मामले की गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर दिनांक 21.08.2026 समय 09.00 एएम पर पर ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया था। जिस पर परिवादी श्री रोहित पाटीदार पुत्र श्री हरिष चन्द्र पाटीदार उम्र 31 वर्ष जाति पाटीदार निवासी बोदिया मादलदा तहसील गढी जिला बांसवाडा ब्यूरो चैकी उपस्थित आया, जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पष्चात परिवादी द्वारा एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त मन् पुलिस उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को परिवादी को पढकर सुनाया गया तो परिवादी श्री रोहित पाटीदार ने शब्द-ब-शब्द सही होना व प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। माजिद पूछताछ पर परिवादी ने बताया कि “ मै रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड प्रताप सर्कल बांसवाडा में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हू हमारी कम्पनी का मुख्य कार्य मकानो व भूमि पर ऋण प्रदान करने का है आरबीआई के नियमानुसार जिस मकान या भूमि पर ऋण दिया जना है उसकी रजिस्ट्री को सम्बन्धित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर मोर्टगेज करवाना पडता है रजिस्टर मोर्टगेज करवाने के बदले में रिश्वत राशि लि जाती है मेरी कम्पनी में गोतम पुत्र चम्नाजी आदिवासी निवासी बुडवा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा एवं प्रेमजी डामोर पुत्र श्री भेरजी डामोर निवासी करजी तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा के मकानों पर ऋण हेतु आवेदन किया गया है उक्त दोनो के मकानो के पट्टो को रजिस्टर मोर्टगेज करवाने हेतु मेरे द्वारा दिनांक 06.08.2026 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय बागीदौरा में जमा चालान सहित करादीये थे सब रजिस्ट्रार कार्यालय बागीदौरा का बाबू भाटी रजिस्टर मोर्टगेज के कागजाद मुझे देने के बदले में 2500-2500 (दोनो पत्रावलीयों के) कुल 5000 रूपये कि मांग कर रहा है। मैं रिश्वत राशि नही देना चाहता हू रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हु मेरी भाटी बाबूजी से पुरानी कोई दूष्मनी नही है ना ही पूरानी कोई लेन देन बाकी है, रिपोर्ट पर कार्यवाही करें।’ परिवादी से मजिद दरियाफ्त

पर मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया जाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित श्री पंकज कुमार कानि 551 को कार्यालय की अलमारी से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड (ईवीएम माइक्रो एसडी एचसी 8 जीबी बरंग काला) मंगवाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल टेप रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। श्री पंकज कुमार कानि का परिचय परिवादी श्री रोहित पाटीदार से करवाया जाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर आपस में आदान-प्रदान करवाये गए तथा श्री पंकज कुमार कानि को अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु निर्देशित कर ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड लगाकर सुपूर्द कर समय 11.00 एएम पर परिवादी एवं श्री पंकज कुमार कानि को परिवादी के निजी वाहन से सब रजिस्ट्रार कार्यालय बागीदौरा के लिए मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। समय 01.25 पीएम पर परिवादी श्री रोहित पाटीदार एवं कानि श्री पंकज कुमार कानि परिवादी के निजी वाहन से ब्यूरो इकाई पर उपस्थित आये। कानि. ने ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ बंद हालात में सुपूर्द किया, जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक ने सुरक्षित अपने पास रखा गया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि " मै व श्री पंकज कुमार कानि मेरी निजी कार से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर सब रजिस्ट्रार कार्यालय बागीदौरा के आस-पास पहुंचे जहां श्री पंकज कुमार कानि द्वारा मुझे डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द किया । जिस पर मै, पंकज जी को वही छोड कर अपनी निजी कार लेकर सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचा वहां भाटी बाबू उपस्थित मिला जिससे मैने पत्रावली देने व मेरे कार्य सम्बन्धित वार्ता की तो उन्होने मुझसे 5 हजार रूपये देने को कहा मेरे द्वारा निवेदन करने पर 500-500 रूपये (दोनो पत्रावली) के कम देने का कह कर कुल 4,000/- रूपये लेने की सहमति हुई है।"उक्त वार्ता मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्डकर ली है। इसके पश्चात मै सब रजिस्ट्रार कार्यालय से बाहर आया और डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ श्री पंकज कुमार कानि को सुपूर्द किया जिसे उन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया। परिवादी के कहे कथनों की ताईद श्री पंकज कुमार कानि द्वारा करते हुए बताया की मैने परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सुपूर्द किया और मैं वही आस पास अपनी उपस्थिती छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में मुकिम रहा था। बाद रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी मेरे पास उपस्थित आया था जिससे ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हेतु ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर चालु कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्यअंशः सुने गये तो भाटी बाबू द्वारा परिवादी के दोनो पत्रावलीया देने की एवज में 2500-2500 रूपये की बात करते हुए वार्ता के दौरान दोनो पत्रावलीयों के 500-500 रूपये कम करके रिश्वत राशि लेने की सहमति हुई है। जिस पर परिवादी ने बताया कि भाटी बाबुजी दोनो फाईलो के कुल 4 हजार रूपये लेकर ही मुझे पत्रावली तैयार करके देंगे। मैरे दोनो फाईलों में मोर्टगेज होने पर ही मेरी कम्पनी द्वारा उक्त आवेदन कर्ताओ के लोन स्वीकृत किया जाएगा। जिस पर परिवादी से रिश्वत राशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि दो दिन शनिवार व रविवार का अवकाष होने से अब भाटी बाबूजी सोमवार दिनांक 24.08.2026 को ही सब रजिस्ट्रार कार्यालय पर मिलेंगे। तो मै दिनांक 24.08.2026 को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर एसीबी कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। दिनांक 24.08.2026 समय 08.00 एएम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवष्यकता होने से जिला षिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक जिला बांसवाडा के नाम कार्यालय के पत्रांक 869 दिनांक 24.08.2026 के द्वारा विशेष वाहक के साथ कार्यालय उपस्थित आने हेतु तहरिर जारी कर श्री बंसीलाल कानि नं 63 को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। जो समय करीब 08.30 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को हमराह लेकर उपस्थित आकर ब्यूरो कार्यालय की तहरिर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश कि जिसका अवलोकन किया गया तो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय द्वारा मूल ही तहरिर पर दोनो गवाहान का नाम मय पदस्थापन व मोबाईल नं अंकित कर मय हस्ताक्षर किए है। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान का मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह उम्र 46 वर्ष जाति जाट निवासी हिमालय नगर उदयपुर रोड जिला बांसवाडा पद उप प्राचार्य पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खान्दु कॉलोनी जिला बांसवाडा एवं कल्पेश कुमार भोई पुत्र श्री लक्ष्मण कुमार भोई उम्र 38 वर्ष जाति भोई निवासी उपला भोईवाडा नगर स्कुल न्यू गेट जिला बांसवाडा हाल वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च

माध्यमिक विद्यालय छायनबडी ब्लॉक छोटी सरवन जिला बांसवाडा हाल अटैच जिला षिक्षा अधिकारी मुख्यालय जिला बांसवाडा होना बताया मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। दोनों गवाहों को कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बिठाया गया। समय 09.00 एएम पर परिवादी श्री रोहित पाटीदार ने ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आकर बताया कि मै रिश्वत राशि 4,000/- रूपये की व्यवस्था करके लाया हुं आप अग्रिम कार्यवाही करावें। परिवादी ने बताया की भाटी बाबुजी का पूरा नाम योगेन्द्र सिंह भाटी है यह तहसील कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर लम्बे समय से पदस्थापित है। जिस पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय 09.10 एएम पर कार्यालय में बैठे हुए दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी श्री रोहित पाटीदार का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी की रिपोर्ट दिनांक 21.08.2026 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिपी में होकर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का रिकार्डशुदा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ कार्यालय की अलमारी से श्री पंकज कुमार कानि से मंगवाया जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर रिकार्डवार्ता के मुख्य-मुख्य अंष को गवाहो को भी सुनाया गया तो गवाहान ने भी आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग की पुष्टि की। समय 09.20 एएम पर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ को दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा दिनांक 21.08.2026 समय 11.53 एएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक के मध्य आमने-सामने तहसील कार्यालय बागीदौरा के कक्ष में हुई वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देषन में श्री बंसीलाल कानि नं 63 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री रोहित पाटीदार ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज संदिग्ध श्री योगेन्द्र सिंह भाटी की होने की पुष्टि की। उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्डवार्ता दिनांक 21.08.2026 समय 12.07 पीएम पर कोई वार्ता रिकार्डनही हुई है। समय 09.50 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु परिवादी रोहित पाटीदार को कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उपरोक्त नोटो के नम्बर जिसे फर्द में अंकित किया गया। श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि से कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर परिवादी रोहित पाटीदार द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर कार्यालय की टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त भारतीय चलन मुद्रा के नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी रोहित पाटीदार की जामा तलाषी गवाह श्री कल्पेश कुमार भोई से लिवाई गई। जिस में परिवादी के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे परिवादी को सुपुर्द किया गया। श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि से उपरोक्त नोटो को परिवादी रोहित पाटीदार के पहनी हुई पेन्ट के साईड की दाहिने जैब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री दिनेश कुमार सउनि से ट्रेप बॉक्स में रखी सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी, परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखने हेतु हिदायत दि गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा

रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मन् पुलिस उप अधीक्षक या श्री पंकज कुमार कानि के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। परिवादी, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि 657, श्री दिनेश कुमार सउनि व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं जाप्ता की कमी होने से श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को ट्रेप कार्यवाही में साथ में आने व दौराने ट्रेप कार्यवाही गाडी के अन्दर ही बैठे रहने की हिदायत दी गई। श्री दिनेश कुमार सउनि से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, प्लास्टिक के डिस्पोजल, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर को ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 10.15 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा समस्त ब्यूरो जाब्ता को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रभान सिंह उप प्राचार्य व श्री कल्पेश कुमार भोई वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी से आपस में परिचय करवाया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु आवष्यक दिशा निर्देश दिये जाकर श्री पंकज कुमार कानि को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ मुनासिब हिदायत के सम्भलवाया गया तथा श्री बंसीलाल कानि को ब्यूरो का सरकारी मोबाईल मय दो नये रिक्त मेमोरी कार्ड कार्यालय की अलमारी से मंगवाकर सम्भलाकर एक मेमोरी कार्ड को सरकारी मोबाईल में लगवाया जाकर मोबाईल का अवलोकन किया गया तो मेमोरी कार्ड रिक्त होना पाया गया एवं दूसरे रिक्त मेमोरी कार्ड को ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाकर आरोपी के खानातलाषी के दौरान मेमोरी कार्ड लगवाकर विडीयोग्राफी करने के निर्देष प्रदान किए गए। समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों में शामिल जाप्ते को निर्देश दिये कि कार्यवाही के दौरान मोबाईल फोन का इस्तेमाल सिर्फ आपसी संवाद के लिये करे अन्य उपयोग से बचे । समय 10.25 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रोहित पाटीदार व श्री पंकज कुमार कानि को मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ परिवादी की निजी कार से तहसील कार्यालय बागीदौरा के लिए रवाना करते हुए उनके पीछे-पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रभान सिंह उपप्राचार्य, श्री कल्पेश कुमार भोई वरिष्ठ सहायक एवं ब्यूरो जाब्ता श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक, श्री बंसीलाल कानि, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि एवं श्री दिनेश कुमार सउनि मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादी आवश्यक संसाधनों के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से तहसील कार्यालय बागीदौरा के लिए रवाना हुए। समय 11.10 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा अपने-अपने वाहनो से तहसील कार्यालय बागीदौरा से कुछ दूरी पर पहुंचे जहां परिवादी श्री रोहित पाटीदार को श्री पंकज कुमार कानि द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर समय 11.15 एएम पर सुपूर्द कर तहसील कार्यालय बागीदौरा की ओर रवाना कर कानि श्री पंकज कुमार को परिवादी के पीछे-पीछे तहसील कार्यालय बागीदौरा के आस-पास रहकर परिवादी के ईशारे को देखने के निर्देष प्रदान कर रवाना किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने प्राईवेट वाहन को साईड में खडा कर मय ट्रेप पार्टी सदस्य परिवादी के पिछे-पिछे अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री जितेन्द्रसिंह चालक कानि को कार्यवाही के दौरान् प्राईवेट वाहन में ही मुकीम रहने के निर्देश प्रदान किए गए। समय 11.35 एएम पर दर्ज रहे कि समय करीब 11.24 एएम पर परिवादी श्री रोहित पाटीदार ने तहसील कार्यालय बागीदौरा के परिसर में आकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण बाबत् पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर कानि श्री पंकज कुमार द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर अवगत करवाया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान प्राईवेट वाहन से तहसील कार्यालय बागीदौरा के मुख्य गेट से प्रवेश कर वाहन को परिसर में रोक कर वाहन से उतरकर तेज कदमों से चलकर परिवादी के पास पहुंचे जहां कानि भी उपस्थित मिला। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी से डिजिटल टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि मै ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर लेकर तहसील कार्यालय बागीदौरा में स्थित भाटी बाबू जी के पंजीयन कक्ष की तरफ जा रहा था तो भाटी बाबूजी कक्ष के बाहर खडे थे जिनसे मै अभिवादन कर वार्ता करते हुए रजिस्टर मोर्टगेज की पत्रावली के बारे में बातचीत करते हुए मै व भाटी बाबू जी उनके पंजीयन कक्ष में गए तो भाटी बाबू जी ने रिश्वत राशि उनके कक्ष में खडे एक व्यक्ति को देने के लिए कहा जिस पर मैने रिश्वत राशि 4,000/- रूपये उस व्यक्ति को दे दिए और भाटी बाबुजी ने मुझे पे्रमजी व गौतम की रजिस्टर मोर्टगेज की पत्रावली दे दी है। तत्पष्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक, परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के तहसील कार्यालय स्थित पंजीयन कक्ष में प्रवेश किया तो कक्ष के द्वार के सामने लगी टेबल कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था

जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही भाटी बाबू जी है इन्होने अभी-अभी मुझसे रिश्वत राशि 4,000/- रूपये स्वयं ग्रहण नही कर उनके कक्ष में खडे एक व्यक्ति को दिलवा दिए है जो की तहसील परिसर के मुख्य गेट के पास बैठा हुआ है। जिस पर ब्यूरो जाब्ता श्री दिनेश कुमार सउनि एवं गवाह श्री कल्पेश कुमार भोई को परिवादी के साथ जाकर उक्त व्यक्ति की पहचान परिवादी से करवा कर उक्त व्यक्ति के हाथ को कलाई के उपर से पकडकर हमराह लेकर आने हेतु निर्देष दिए गए। तत्पष्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत करवा उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम योगेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री शम्भू सिंह भाटी उम्र 36 वर्ष निवासी भदेसर जिला चित्तौडगढ हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बागीदौरा जिला बांसवाडा होना बताया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी योगेन्द्र सिंह से परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो उसने किसी प्रकार की रिश्वत राशि नही लेना बताया और जोर-जोर से चिल्लाकर कहने लगा की कोई भी आकर किसी को रूपये देकर मेरा नाम लेगा तो राशि मैने थोडी ली होगी। इसी दौरान श्री दिनेश कुमार सउनि, गवाह श्री कल्पेश कुमार भोई नियमानुसार एक व्यक्ति को हमराह लेकर मेरे समक्ष उपस्थित हुए। इनके साथ परिवादी भी उपस्थित आया। उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रतन सिंह पुत्र श्री राम सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी बोडिगामा हमीरपुरा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा होना बताया। कार्यालय परीसर में भीड भाड होने से आरोपी योगेन्द्र सिंह भाटी के कक्ष के गेट को बन्द कर कक्ष के बाहर निगरानी हेतु श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री पंकज कुमार कानि को रखा गया। तत्पष्चात रतन सिंह को परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि 4,000/- रूपये के सम्बन्ध में पूछा तो उसने कौनसी रिश्वत राशि कहकर टालमटोल की गई। उसके पश्चात पुनः रतन सिंह से योगेन्द्र सिंह भाटी के कहे अनुसार परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो रतन सिंह ने बताया कि मैने भाटी जी कहने पर रिश्वत राशि लेकर मेरे पेन्ट की दाहिनी जेब में रख दी थी उसके बाद जेब से निकालकर विठ्ठल को दे दी है और वह कक्ष के बाहर नीचे खडा है। मै तहसील बागीदौरा में अन्य लोगो के रजिस्ट्री, जाति व मूल निवास इत्यादी कार्य हेतु आना जाना करता हु जिस कारण मेरा भाटी जी से परिचय है उन्होने ही मुझे राशि लेकर विठ्ठल को देने के लिए कहा था। तत्पष्चात रतन सिंह से विठ्ठल की पहचान हेतु कहा तो रतन सिंह ने कक्ष के बाहर आकर नीचे खडे एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह विठ्ठल है। मेरे निर्देषानुसार कानि श्री बंसीलाल द्वारा विठ्ठल के दाहिने हाथ को कलाई के उपर से पकडकर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विठ्ठल पुत्र श्री मोगजी उम्र 35 वर्ष निवासी नौगामा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा होना बताया। जिस पर विठ्ठल से रतन सिंह से ली गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो उसने भी टालमटोली की परन्तु पुनः समझाईष कर पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे रतन सिंह ने 4,000/- हजार रूपये दिये और कहा कि भाटी बाबूजी ने दिये है, इसलिये मैने ये रुपये लेकर अपनी पेन्ट की जैब में रख लिये है। तत्पश्चात स्वतः ही श्री विठ्ठल ने अपने पहने हुए पेन्ट की साईड की बांयें जेब से 500-500 रूपये के कुछ नोट निकालकर स्वयं गिनकर बताया की 4,000/- रूपये है जो कि मुझे रतन सिंह ने दिए थे। मंै तहसील के सामने ही वकील साहब रवि पटेल के वहा पर कार्य करता हु और मेरा तहसील में आना जाना लगा रहता है मै योगेन्द्र सिंह भाटी बाबुजी को जानता हुं कई बार भाटी बाबुजी द्वारा मुझे रूपये अन्य लोगो के मार्फत भिजवाये जाते है जो कि मै अपने पास रख लेता हु और बाद में भाटी बाबुजी वह रूपये मुझसे ले लेते है। आज भी यह राशि 4,000/- रूपये मुझे रतनसिंह ने भाटी बाबूजी के कहने पर दिए थे जो मैने लेकर अपने जेब में रख दिए थे। उक्त राशि को विठ्ठल के हाथों से गवाह श्री चन्द्रभान सिंह से लिवाए जाकर दोनो गवाहो से पूर्व में मुर्तिब फर्द पेषकषी से मिलान करवाया गया तो दोनो गवाहो ने रिश्वत राशि 4,000/- रूपये हूबहू होना स्वीकार किया। जिसे गवाह श्री चन्द्रभान सिंह को सुरक्षित रखने हेतु सम्भलवाया गया। इसके पश्चात योगेन्द्र सिंह भाटी से पूनः परिवादी से रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि रतन सिंह व विठ्ठल को दिलवाये जाने के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी ने कहा कि गलती हो गई मुझे रोहित पर शंका हो गई थी इसलिए मैने रोहित से रूपये नही लिए और रतनसिंह को दिलवाकर विठ्ठल को देने हेतु कहा था। चूंकी आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि अपने दलाल श्री रतन सिंह को दिलवाकर, रतन सिंह के माध्यम से दलाल विठ्ठल को दिलवाई थी जिस कारण मौके की स्थिती स्पष्ट करने हेतु आरोपी योगेन्द्र सिंह भाटी, श्री रतन सिंह व श्री विठ्ठल के हाथों का धोवन नियमानुसार लिया जाना आवष्यक होने से श्री दिनेश कुमार सउनि से प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर श्री दिनेश कुमार सउनि से ट्रेप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलवाकर आरोपी के कक्ष में रखे पीने के साफ पानी के केम्पर से उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग

अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क RH1 व RH2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी के बाये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क LH1 व LH2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात ट्रेप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलवाकर आरोपी के कक्ष में रखे पीने के साफ पानी के केम्पर से उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी दलाल श्री रतनसिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क RH3 व RH4 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी दलाल श्री रतन सिंह के बाये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क LH3 व LH4 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी दलाल श्री रतनसिंह के पहने हुए पेन्ट बरंग हल्का क्रिम के साईड की दाहिनी जेब जहां रतनसिंह ने रिश्वत राशि परिवादी से ग्रहण कर रखी थी। जिसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के पेन्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर आरोपी दलाल को पहनने के लिए एक पायजामा मंगवाया जाकर पहनवाया गया तत्पश्चात श्री दिनेश कुमार सउनि से ट्रेप बॉक्स में से एक नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलवाकर आरोपी के कक्ष में रखे पीने के साफ पानी के केम्पर से उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी दलाल श्री रतनसिंह के पेन्ट के साईड की दाहिनी जेब को उल्टा करवाकर उक्त रंगहीन घोल में डूबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क P -1 व P -2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त पेन्ट की जेब को सुखा कर पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाए जाकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क P-3 अंकित कर कपडे की थैली को सिलचिट कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात ट्रेप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलवाकर आरोपी के कक्ष में रखे पीने के साफ पानी के केम्पर से उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी दलाल श्री विठ्ल के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क RH5 व RH-6 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी दलाल श्री विठ्ल के बाये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क LH -5 व LH -6 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी दलाल श्री विठ्ल के पहने हुए पेन्ट बरंग डार्क ग्रे की साईड के बांये जेब जहां से दलाल श्री विठ्ल ने स्वतः ही रिश्वत राशि निकालकर प्रस्तुत की गई थी। जिसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के पेन्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर आरोपी दलाल को पहनने के लिए एक पायजामा मंगवाया जाकर पहनवाया गया तत्पश्चात श्री दिनेश कुमार सउनि से ट्रेप बॉक्स में से एक नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलवाकर आरोपी के कक्ष में रखे पीने के साफ पानी के केम्पर से उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी दलाल श्री विठ्ल के पेन्ट के साईड की बांये जेब को उल्टा करवाकर उक्त रंगहीन घोल में डूबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा

भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क P -4 व P -5 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त पेन्ट की जेब को सुखा कर पेन्ट की साईड की बांये जेब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाए जाकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क P-6 अंकित कर कपडे की थैली को सिलचिट कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात श्री चन्द्रभान सिंह स्वतंत्र गवाह को पूर्व में सम्भलाई गई रिश्वत राशि 4,000/-रूपये जिसका मिलान पूर्व में दोनो स्वतंत्र गवाहान से मूर्तिब फर्द पेशकशी से कर लिया गया था। उक्त रिश्वत राशि को श्री चन्द्रभान सिंह गवाह से प्राप्त कर उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बन्द करा नियमानुसार कब्जे ब्यूरो लिये गया। समस्त सीलचीटशुदा आर्टिकल्स मय रिश्वती राशि सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में श्री दिनेश कुमार सउनि से रखवाए गए। उक्त बरामदगी की विडियोग्राफी श्री बंसीलाल कानि नं 63 से ब्यूरो के सरकारी मोबाईल में नया रिक्त मेमोरी कार्ड लगवाकर मोबाईल में विडियोग्राफी करवाई गई। मौके पर प्रयुक्त डिस्पोजल गिलास को श्री दिनेश कुमार सउनि से कार्यालय कक्ष के बाहर जलवाकर नष्ट करवाया गया। समय 01.00 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा तीनो आरोपीगण एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान की मौजुदगी में परिवादी की निशांदेही पर फर्द घटनास्थल निरीक्षण किया गया जिसकी फर्द पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाए गए। समय 01.15 पीएम पर कार्यवाही के दौरान बरामदगी की विडीयाग्राफी सरकारी मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी उक्त मेमोरी कार्ड को मूल ही सरकारी मोबाईल से निकलवाया जाकर मेरे पास सुरक्षित रखा गया। श्री बंसीलाल कानि से सरकारी मोबाईल में नया रिक्त मेमोरी कार्ड ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर मेमोरी कार्ड लगवा कर आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक के सरकारी क्वार्टर की तलाशी के दौरान विडीयाग्राफी करने हेतु निर्देशित किया। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय बागीदौरा में महिला कानि उपलब्ध कराने हेतु वार्ता की गई परन्तु कावड यात्रा में कानुन व्यवस्था ड्युटी होने से कोई मकानि उपलब्ध नही होने पर तहसील कार्यालय बागीदौरा से सुश्री नीता पटेल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को हमराह आरोपी के सरकारी क्वार्टर की खानातलाशी लेने हेतु साथ चलने हेतु कहा गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री रतनसिंह व श्री विठ्ल को श्री दिनेश कुमार सउनि व पंकज कुमार कानि की निगरानी में छोड कर डिटेनशुदा आरोपी योगेन्द्र सिंह भाटी को हमराह लेकर दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाब्ता के आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन से तहसील कार्यालय बागीदौरा के पीछे स्थित सरकारी क्वार्टर की खाना तलाशी लेने के लिए रवाना हुआ। समय 01.20 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान एवं डिटेन शुदा आरोपी के आरोपी योगेन्द्र सिंह भाटी के सरकारी क्वार्टर जीईडी क्वार्टर नं 01 गायत्री कॉलोनी बागीदौरा पहुंच नियमानुसार खानातलाशी शुरू की गई। समय 01.40 पीएम पर दर्ज रहे कि आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी के सरकारी क्वार्टर की खानातलाशी पूर्ण कर बाद खानातलाशी मन् पुलिस उप अधीक्षक मय डिटेनशुदा आरोपी मय हमराहियान के तहसील कार्यालय बागीदौरा समय 01.45 पीएम पर पहुचा। सुश्री नीता पटेल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को राजकार्य हेतु पदस्थापन स्थल पर कार्य हेतु रूखसत किया गया। इसके पश्चात ब्यूरो कार्यालय के पत्रांक एसपीएल-01 व एसपीएल-02 दिनांक 24.08.2026 से रिकार्डव सेवा विवरण चाहने हेतु तहसीलदार बागीदौरा को तहरिर जारी कर प्राप्ति रसीद ली जाकर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद मन् पुलिस उप अधीक्षक मय डिटेन शुदा आरोपीगण श्री योगेन्द्र सिंह भाटी, श्री रतन सिंह व श्री विठ्ल एवं हमराहियान व आवश्यक संसाधनो के समय करीब 02.00 पीएम परिवादी को उसके निजी वाहन से आगे रवाना कर पीछे-पीछे ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिए रवाना हुए। समय 03.00 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पहुंचकर तीनो आरोपीगणों को सुरक्षित कार्यालय के कक्ष में बैठाया गया तथा सीलचिटशुदा आर्टिकल को श्री दिनेश कुमार सउनि को सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया। समय 03.10 पीएम पर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ को दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा दिनांक 24.08.2026 समय 11.15 एएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक के मध्य आमने-सामने तहसील कार्यालय बागीदौरा के कक्ष में हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देषन में श्री बंसीलाल कानि नं 63 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री रोहित पाटीदार ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी की होने की पुष्टि की। उक्त वार्ता में श्री योगेन्द्र सिंह भाटी द्वारा स्वयं के आवाज होने की पुष्टि उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेन ड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। समय 04.10 पीएम पर दिनांक 21.08.2026 समय 11.53 एएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी

वरिष्ठ सहायक के मध्य आमने-सामने तहसील कार्यालय बागीदौरा के कक्ष में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 21.08.2026 समय 12.07 पीएम पर कोई वार्ता रिकार्ड नही है एवं दिनांक 24.08.2026 को समय 11.15 एएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक के मध्य आमने-सामने तहसील कार्यालय बागीदौरा के कक्ष में हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता उपरोक्त वार्ताओ को नियमानुसार परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकार्डकिया गया उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को ब्यूरो के कम्प्युटर से श्री बंसीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेन ड्राईव, एक आरोपी तथा एक पर डब पेनड्राईव लिखा जाकर मूल व आरोपी पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर नियमानुसार श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बंद करवा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आरोपी एवं डब पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 05.10 पीएम पर दिनांक 21.08.2026 समय 11.53 एएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक के मध्य आमने-सामने तहसील कार्यालय बागीदौरा के कक्ष में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 21.08.2026 समय 12.07 पीएम पर कोई वार्ता रिकार्डनही है एवं दिनांक 24.08.2026 को समय 11.15 एएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक के मध्य आमने-सामने तहसील कार्यालय बागीदौरा के कक्ष में हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट करवा मूल मेमोरी कार्ड की हेश वेल्यू नियमानुसार श्री बंसीलाल कानि नं 63 से निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला ईवीएम माइक्रो एसडी एचसी 8 जीबी लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार मार्क ड अंकित कर जब्त किया गया। समय 05.40 पीएम पर दिनांक 24.08.2026 को आरोपी योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक व आरोपी दलाल श्री रतनसिंह व श्री विठ्ल के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही के दौरान श्री बंसीलाल कानि. 63 द्वारा ब्यूरो के सरकारी मोबाईल में नया मेमोरी कार्ड डलवाकर विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी लेपटॉप से श्री बंसीलाल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेन ड्राईव, एक आरोपी पेन ड्राईव तथा एक पर डब पेन ड्राईव लिखा गया। मूल पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कवर को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर नियमानुसार श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बंद करवा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आरोपी व डब पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 06.30 पीएम पर दिनांक 24.08.2026 को आरोपी योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक व आरोपी दलाल श्री रतनसिंह व श्री विठ्ल के रिश्वत राशि बरामदगी के दौरान श्री बंसीलाल कानि नं 63 द्वारा ब्यूरो के सरकारी मोबाईल से विडीयाग्राफी की गई थी जो सरकारी मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी उक्त मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला ईवीएम माइक्रो एसडी एचसी 16 जीबी लिखा हुआ है, को नियमानुसार श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बंद करवा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 07.00 पीएम पर आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बागीदौरा के सरकारी क्वार्टर जीईडी क्वार्टर नं 01 गायत्री कॉलोनी बागीदौरा की खानातलाशी के दौरान श्री बंसीलाल कानि. 63 द्वारा ब्यूरो के सरकारी मोबाईल में नया मेमोरी कार्ड डलवाकर विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बंसीलाल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की एक पेनड्राईव तैयार की गयी। उक्त पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। उक्त मेमोरी कार्ड को सरकारी मोबाईल में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला ईवीएम माइक्रो एसडी एचसी 16 जीबी लिखा हुआ है, को नियमानुसार श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बंद करवा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 07.30 पीएम पर आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक को भ्रनिब्यूरो के पत्रांक 870 दिनांक 24.08.2026 आवाज का नमूना व स्पष्टीकरण के संबंध में एवं श्री रतन सिंह को ब्यूरो के पत्रांक 871 दिनांक 24.08.2026 व श्री विठ्ल को

ब्यूरो के पत्रांक 872 दिनांक 24.08.2026 से कार्यवाही के संबंध में स्पष्टीकरण तहरीर दि गई। तो आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक ने उसी पत्र पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है साथ ही अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया कि बवक्त न्यायालय में अपना स्पष्टीकरण पेश करूंगा। आरोपी दलाल श्री रतनसिंह व श्री विठ्ठल ने अपना स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष पेश करना अंकित कर हस्ताक्षर किए है। उक्त पत्रों को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 08.00 पीएम पर आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसके भाई को जरिये दूरभाष श्री प्रेम सिंह चुण्डावत को दी गई। समय 08.15 पीएम पर आरोपी श्री रतनसिंह को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसके पिताजी को जरिये दूरभाष रामसिंह को दी गई। समय 08.30 पीएम पर आरोपी श्री विठ्ठल को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसके भाई मणीलाल जो मौके पर उपस्थित है को दी गई । समय 08.45 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी व आरोपी दलाल श्री विठ्ठल व श्री रतनसिंह के मोबाईल का अवलोकन किया गया तो आरोपी योगेन्द्र सिंह भाटी के मोबाईल नं   से आरोपी दलाल श्री विठ्ठल के मोबाईल नं   पर निरन्तर वार्ताए होती है। जिससे निरन्तर इनके सम्पर्क में रहना प्रमाणित होता है। आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी के मोबाईल से दलाल विठ्ठल की कॉल हिस्ट्री का श्री बंसीलाल कानि नं 63 से सरकारी मोबाईल से फोटोग्राफ लिवाया गया था उक्त सरकारी मोबाईल को ब्यूरो कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर श्री बंसीलाल कानि से प्रिन्ट निकलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली किये गए। समय 09.30 पीएम पर जब्तशुदा मालखाना आईटम को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु श्री दिनेश कुमार सहायक उप निरीक्षक को निर्देशित किया गया। परिवादी को रूखसत किया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 25.08.2026 को प्रातः पुनः ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने हेतु निर्देश प्रदान कर रूखसत किया गया। समय 10.00 पीएम पर आरोपीगण श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक व श्री रतनसिंह एवं श्री विठ्ठल का स्वास्थ्य परिक्षण करवा बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात कराने हेतु पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा एवं मेडिकल ज्यूरीष्ठ एमजीएच बांसवाडा के नाम पृथक-पृथक तहरिर जारी कर मय तीनो आरोपीगणों के ब्यूरो जाब्ता श्री पंकज कुमार कानि व श्री बंसीलाल कानि, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को जरिये सरकारी वाहन रवाना किए । समय 11.10 पीएम पर श्री पंकज कुमार कानि मय हमराहियान जाब्ता के आरोपीगण श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक व श्री रतनसिंह एवं श्री विठ्ठल को पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा में दाखिल हवालात करा ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा उपस्थित आये और स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मय आरोपीगण के पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा की रोजनामचा रपट पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 25.08.2026 समय 09.00 एएम पर आरोपीगण श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक व श्री रतनसिंह एवं श्री विठ्ठल को पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा से प्राप्त करने हेतु श्री दिनेश कुमार सउनि व श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि 657 को जरिये सरकारी वाहन रवाना किए। समय 10.00 एएम पर श्री दिनेश कुमार सउनि व श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक व श्री रतनसिंह एवं श्री विठ्ठल को पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा से प्राप्त कर ब्यूरों चैकी पर लेकर उपस्थित आये। पुलिस थाना कोतवाली की रोजनामचा रपट पेष कि जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 10.20 एएम पर पूर्व पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रभान सिंह उपप्राचार्य व श्री कल्पेश कुमार भोई वरिष्ठ सहायक ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आए जिन्हे सुरक्षित कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय 12.35 पीएम पर श्री योगेश यादव वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बागीदौरा जिला बांसवाडा जो पूर्व से पाबन्दशुदा ब्यूरो इकाई उपस्थित है। जो तहसील कार्यालय बागीदौरा के पत्रांक 551, 552 दिनांक 25.08.2026 से प्रकरण से सम्बन्धित प्रेमजी पुत्र श्री भेरजी व श्री गौतम पुत्र चमनाजी का रजिस्टर मोर्टगेज एवं सेवा विवरण सम्बन्धित प्रमाणित दस्तावेज लेकर उपस्थित है जो प्रस्तुत कर बताया की उक्त दस्तावेजो को मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया है। उक्त पेश शुदा दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तो उक्त दोनो आवेदन दिनांक 06.08.2026 को फाईनेंस कम्पनी के माध्यम से परिवादी श्री रोहित पाटीदार द्वारा तहसील कार्यालय बागीदौरा में ऑनलाईन आवेदन किया गया था। भाग अ के पृष्ठ संख्या 06 पर पंजीयन बाबु योगेन्द्र सिंह भाटी के भी हस्ताक्षर अंकित है। उक्त दस्तावेजो को दोनो गवाहान के हस्ताक्षर

करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात दिनांक 21.08.2026 व 24.08.2026 को परिवादी व आरोपी के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन व लेन देन वार्ता जो की डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड सेव थी उक्त मेमोरी कार्ड से डब पेन ड्राईव तैयार करवाई गई थी जो श्री दिनेश कुमार सउनि से मंगवाई जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डब पेन ड्राईव को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवा उक्त वार्ताओ के मुख्य-मुख्य अंश को चलाकर सुनवाया गया तो श्री योगेश यादव वरिष्ठ सहायक द्वारा आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक की आवाज पहचान करते हुए कहा कि यह मेरे कार्यालय में ही पदस्थापित है कार्यालय के दैनिक कार्यो हेतु उनसे मेरा निरन्तर संवाद एवं बातचीत होती रहती है मै उनकी आवाज भली-भांती पहचानता हु। जिसकी मै अपने स्वयं के हस्ताक्षर कर स्वयं की सहमति से ताईद करता हु। श्री योगेश यादव वरिष्ठ सहायक को भी रूखसत किया गया। समय 01.30 पीएम पर कार्यवाही की लिखापढी पूर्ण होने पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री दिनेश कुमार सउनि, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि मय आरोपीगण श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक व श्री रतनसिंह एवं श्री विठ्ठल को मय सरकारी वाहन व चालक से जरिये जे.सी. रिमाण्ड के साथ माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर क्रमांक 01 के समक्ष पेश करने हेतु मय डायरी के रवाना हुआ। प्रकरण में आरोपीगण श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक व श्री रतनसिंह, श्री विठ्ठल आरोपी दलाल को माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया जाकर न्यायाधीष महोदय के आदेषानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेंगी। प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बागीदौरा द्वारा परिवादी की दोनो पत्रावलीयो की रजिस्टर मोर्टगेज कर प्रति पत्रावली 2,500/- रूपये मांग कर 5,000/- रूपये रिश्वत राशिकी मांग कि गई तथा वार्ता के दौरान दोनो पत्रावलीयों पर 500-500 रूपये कम करने के उपरांत 4,000 /- रूपये की रिश्वत राशि लेने की सहमती व्यक्त करने पर रिश्वतमांग की पुष्टि हुई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान श्री योगेन्द्र सिंह भाटी द्वारा 4,000/- रूपये रिश्वत राशि परिवादी से अपने परिचित श्री रतनसिंह (दलाल) को दिलवाकर श्री विठ्ठल (दलाल) को देने के लिए कहा गया। जिस पर श्री रतन सिंह (दलाल) द्वारा रिश्वत राशि 4,000/- रूपये श्री विठ्ठल (दलाल) को दी गई। श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक की मांग अनुसार रिश्वत राशि श्री रतन सिंह दलाल द्वारा ग्रहण कर आरोपी दलाल श्री विठ्ठल को दिये जाने पर रिश्वत राशिश्री विठ्ठल आरोपी दलाल से बरामद की गई। इस प्रकार आरोपीगण श्री योगेन्द्रसिंह भाटी वरिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी के दोनो पत्रावलीयो की रजिस्टर मोर्टगेज कर देने की एवज में रिश्वत राशि की मांग की गई जो नियमानुसार दिनांक 21.08.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराया गया जिसमें आरोपी द्वारा रिश्वत राशिमांग की पुष्टि हुई। तत्पष्चात नियमानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जाकर दिनांक 24.08.2026 को आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी द्वारा 4,000/- रूपये रिश्वत राशि परिवादी से अपने परिचित श्री रतनसिंह (दलाल) को दिलवाकर श्री विठ्ठल (दलाल) को देने के लिए कहा गया। जिस पर श्री रतन सिंह (दलाल) द्वारा रिश्वत राशि4, 000/-रूपये श्री विठ्ठल (दलाल) से रिश्वत राशिबरामद कर तीनो आरोपीगणों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया । मौके से रिश्वत राशि बरामद की जा चुकी है तथा आरोपीगण से कोई बरामदगी शेष नहीं है। इस प्रकार आरोपीगण श्री योगेन्द्र सिंह भाटी वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बागीदौरा जिला बांसवाडा द्वारा श्री रतन सिंह पुत्र श्री राम सिंह एवं श्री विठ्ठल पुत्र श्री मोगजी आरोपी दलाल से आपस में मिलिभगत कर आरोपी श्री योगेन्द्र सिंह भाटी द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिश्वत राशि परिवादी से मांगकर ग्रहण करना जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर दिनांक 24.08.2026 को गिरफ्तार किया गया है। जो की जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 के प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपीगण श्री योगेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री शम्भू सिंह भाटी उम्र 36 वर्ष जाति राजपूत निवासी भदेसर जिला चित्तौडगढ हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बागीदौरा जिला बांसवाडा, श्री रतन सिंह पुत्र श्री राम सिंह उम्र 32 वर्ष जाति गवारिया निवासी बोडिगामा हमीरपुरा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा एवं श्री विठ्ठल पुत्र श्री मोगजी उम्र 35 वर्ष जाति आदिवासी निवासी नौगामा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा के विरूद्व जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं। भवदीय, (रतनसिंह राजपुरोहित) पुलिस उप अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो,

बांसवाडा..........कार्यवाही पुलिस...........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, बांसवाडा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- श्री योगेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री शम्भू सिंह भाटी, उम्र 36 वर्ष, निवासी भदेसर जिला चित्तौडगढ हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बागीदौरा जिला बांसवाडा 2- श्री रतन सिंह पुत्र श्री राम सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी बोडिगामा हमीरपुरा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा एवं 3- श्री विठ्ठल पुत्र श्री मोगजी उम्र 35 वर्ष निवासी नौगामा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राम सुमेर मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 436 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1407-10 दिनांक 26.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- जिला कलक्टर, बांसवाडा 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAMSUMER MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/08/2026 20:25:17

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1990				
2	Male	1994				
3	Male	1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)